

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०--41 (लाइसेन्स दु पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजर, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

श्रसाधार्या

विद्यासी परिज्ञिण्ड

भाग — 1, खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश ग्रधिनियम)

लखन्ऊ, शुक्रवार, 26 फरवरी, 1982 फाल्ग्न 7, 1903 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 759/सत्नह-वि-1-(क)-2-82 लखनऊ, 26 फरवरी, 1982

ग्रधिसूचना विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के प्रधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1982 पर दिनांक 25 फरवरी, 1982 हैं 6 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1982 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर योजना श्रीर विकास (संशोधन) श्रिधिनियम, 1982 [उत्तर प्रदेश ग्रीधिनियम संख्या 6 सन् 1982] (जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

ं उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास भ्रधिनियम, 1973 का भ्रग्नतर संशोधन करने के लिए ग्रधि नियम

भारत गणराज्य के तैंतीसर्वे वर्ष में निम्नलिखित ऋधिनियम बनाया जाता है:--

- े 1——(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर योजना श्रौर विकास (संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम 1982 कहा जायगा। श्रौर प्रारम्भ
 - (2) यह 31 दिसम्बर, 1981 से प्रवृत्त समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधि नियम संख्या 30 सन् 1974 द्वारा पुन: अधि नियमित राष्ट्रपति अधि-नियम संख्या 11 **सन्** 1973 की भारा 59 का तंशोधन

2-- उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास भ्रधिनियम, 1973 की, जिसे भ्रागे मूल भ्रिष्टिनियक कहा गया है, धारा 59 में, उपधारा (14) में, शब्द ग्रौर ग्रंक "31 दिसम्बर, 1981" के स्थान पह शब्द श्रीर श्रंक "31 दिसम्बर, 1982" रख दिये जायेंगे।

निरसन भौर **अ**पवाद

- 3--(1) उत्तर प्रदेश नगर योजना श्रीर विकास (संशोधन) श्रध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट श्रध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धें के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपवन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

ष्राज्ञा से, गंगा बख्श सिंह, सचिव।

No. 759(2)/XVII-V-1-(Ka)-2-1982

Dated Lucknow, February 26, 1982 In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Yojana Aur Vikas (Sanshodhan) Adhiniyam, 1982 (Uttar Pradesh Adhiniyam on February 25, 1982.

THE UTTAR PRADESH URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT. (AMENDMENT) ACT, 1982

[U. P. ACT NO. 6 OF 1982]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

further to amend the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973. IT IS HEREBY enacted in the Thirty-third Year of the Republic of India as follows :--

Short title and commencement.

- (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Act, 1982.
 - (2) It shall be deemed to have come into force on December 31, 1981.

Amendment section 59 President's no. 11 of 1973 as re-enacted by U. P. Act no. 30 of 1974.

In section 59 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (14), for the word and figures "December 31, 1981" the word and figures "December 31, 1982"

Repeal and savings.

- 3. (1) The Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Ordinance, 1981 is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order, G. B. SINGH, Sachiv.

पी 0 एस 0 यू 0 पी 0—ए 0 पी 0 366 सा 0 (विधा 0)——27—2—82——(3992)——1982——700 **(में**क 0) ।